

उत्तर प्रदेश डेन्टल कौंसिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं० 1607/19

दिनांक 19/8/19

सेवा में,

डीन / प्रधानाचार्य
समस्त डेन्टल कालेज,
उत्तर प्रदेश।

विषय: अस्थायी (प्रोविजनल) रजिस्ट्रेशन करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उ०प्र० डेन्टल कौंसिल की शासी समिति की बैठक दिनांक 27.02.2019 में लिये गये निर्णय के क्रम में समस्त डेन्टल कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्र/छात्रों के अस्थायी (प्रोविजनल) रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

अतः आपको अवगत कराना है कि आप अपने कालेज के समस्त छात्र/छात्रों के अस्थायी (प्रोविजनल) रजिस्ट्रेशन फाइनल सत्र की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त उ०प्र० डेन्टल कौंसिल में अस्थायी (प्रोविजनल) रजिस्ट्रेशन करा कर ही एक वर्ष की इन्टर्नशिप प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करें। बिना अस्थायी (प्रोविजनल) रजिस्ट्रेशन कराये छात्र/छात्रों की इन्टर्नशिप उ०प्र० डेन्टल कौंसिल में मान्य नहीं होगा और न ही उक्त छात्र/छात्रों का स्थायी (परमानेंट) रजिस्ट्रेशन उ०प्र० डेन्टल कौंसिल द्वारा किया जायेगा। सभी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित फोटों एवं हस्ताक्षर करा कर एवं बी०डी०एस० फाइनल वर्ष का पासआउट सर्टिफिकेट डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना होगा। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू है।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,

उ०प्र० डेन्टल कौंसिल